



## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक 6522/रा।,

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,

-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,  
धनबाद।

सेवा में,

अवर सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

धनबाद, दिनांक 13/10/2020

विषय :- जन वितरण प्रणाली से संबंधित निवारण हेतु जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :- अवर सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची का पत्रांक-554, दिनांक-24.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में दिनांक-13.10.2020 को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, धनबाद के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों का कार्ड में नाम जोड़ने हेतु, कुछ लोगों से बिना तौल के कम राशन मिलने के कारण शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, तथा कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके नाम से किया गया हस्ताक्षर उनका नहीं है। अतः उक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किया गया शिकायत निराधार है। शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया बयान एवं हस्ताक्षर की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथा-उपर्युक्त।

विश्वामभाजन,

अपर समाहर्ता,

-सह-

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,

धनबाद।



उपायुक्त - सह - जिला पञ्चायती का कार्यालय, चण्डा  
(जिला राजस्व शाखा)

सौ. २२६;

देवी देवी लक्ष्मी स्वयं सहायता समुह लि लक्ष्मी देवी जनविल्ला  
प्रवाली से संबंधित सम्पत्ति कागजातों के सान्ना अर्थात् स्थायी  
के समस्त उपलब्ध होकर यह सुनिश्चित किया की जनविल्ला  
प्रवाली के विरुद्ध लिखी गई शिकायत गलत है। एक सप्ताह  
कठिनाई के वरुदा कोई शिकायत नहीं है।

सभी कठिनाईयों का नाम एवं  
दस्तावेज

अनीता देवी

जिमा देवी

पूना देवी

वसुंधरा देवी

उर्मिला देवी

( ) कुशी देवी

देखा देवी

जिमा देवी

- १) अनिता देवी
- २) गंडा देवी
- ३) रूपाली देवी (पूना देवी)
- ४) वसुंधरा देवी
- ५) कलावती देवी
- ६) उर्मिला देवी
- ७) कुशी देवी
- ८) देखा देवी
- ९) जिमा देवी
- १०) कुशी देवी